



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.01.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में चोरी की सम्पत्ति बरामद होने के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा कुल 5500/- रु0 अर्थदण्ड की सजा।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 20/2014 धारा 411/401/413/414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त परवेज अंसारी पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मीना बाजार कस्बा लोहता थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-22.01.2025 को माननीय न्यायालय ASJ- 05 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि(52 दिवस) तथा कुल 5500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।